न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 114/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा एवं पूनावाला हाउसिंग लि. के नाम से ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालय 602, 6th फ्लोर, जीरो वन, आईटी पार्क, सर्वे नम्बर–79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे–411036 एवं शाखा कार्यालय–आठवां तल, आई.बी.सी. टॉवर, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी हर्षवर्धन जायसवाल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. ललित कुमार पुत्र नवाब सिंह

पता– फ्लेट नम्बर–ए–626, 6th फ्लोर, यूनिक अनमोल, ग्राम घोराना, तहसील एंव जिला सीकर, राजस्थान–332001

अन्य पता– न्यू जनता कॉलोनी, पिपराली रोड जिला सीकर राजस्थान–332001

2. ऋतु पत्नि ललित कुमार

पता– ग्राम अजान, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर, राजस्थान–321025

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 29 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **ललित कुमार पुत्र नवाब सिंह** एवं **ऋतु पत्नि ललित कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ललित कुमार** के स्वामित्व की अचल

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सम्पति **फ्लेट नं.–ए–626 6th फ्लोर, यूनिक अनमोल, खसरा नम्बर–1189/179, ग्राम घोराना, जयपुर–झुंझुंनू बाईपास, तहसील व जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल सुपर विल्डअप एरिया 352 वर्गफुट है।** जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में ऑपन टू स्काई, पश्चिम दिशा में 6 फीट चौडी गैलरी, उत्तर दिशा में सीढीयां एवं दक्षिण दिशा में फ्लेट नम्बर 627 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹कुल 9,60,000/– (अक्षरे रूपये नौ लाख साठ हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **ललित कुमार पुत्र नवाब सिंह** एवं **ऋतु पत्नि ललित कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ललित कुमार** के स्वामित्व की अचल सम्पति **फ्लेट नं.–ए–626 6th फ्लोर, यूनिक अनमोल, खसरा नम्बर– 1189/179, ग्राम घोराना, जयपुर–झुंझुंनू बाईपास, तहसील व जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल सुपर विल्डअप एरिया 352 वर्गफुट है।** जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में ऑपन टू स्काई, पश्चिम दिशा में 6 फीट चौडी गैलरी, उत्तर दिशा में सीढीयां एवं दक्षिण दिशा में फ्लेट नम्बर 627 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **29 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर